

अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	7800,00,00	7952,76,00	7943,59,23	-9,16,77
पूरक	Supplementary	152,76,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,92,50

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	736846.00	793725.02	793694.88	-30.14
पू.	S.	15275.00			
पु.	R.	41604.02			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	42348.00	0.48	..	-0.48
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-42348.52			

(I) ₹42359.90 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹42051.00 लाख मुख्यतः शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए—

(का) "फसल कृषिकर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹5375.00 लाख;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹532.00 लाख;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹1364.00 लाख;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹3300.00 लाख;

(ङ) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन" - ₹13200.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(खा) "मृदा और जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹2970.00 लाख;

(ख) "जलवायु अनुकूल कृषि पहल" - ₹770.00 लाख;

(गा) "पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - ₹1139.00 लाख; और

(I) Provision of ₹42359.90 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.50 lakh obtained in December, 2018 and February, 2019) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹42051.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - ₹5375.00 lakhs;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - ₹532.00 lakhs;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - ₹1364.00 lakhs;

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - ₹3300.00 lakhs;

(e) "I.C.A.R. Headquarters Administration" - ₹13200.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - ₹2970.00 lakhs;

(b) "Climate Resilient Agriculture Initiative - ₹770.00 lakhs;

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - ₹1139.00 lakhs; and

(घा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता – अनुदान – सामान्य” – ₹13400.50 लाख। (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(D) “General (Agricultural Research and Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal” - ₹13400.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh).

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head “2415” - savings occurred under the following heads:-

(का) “फसल कृषिकर्म” –

(A) “Crop Husbandry” -

(क) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” –

(a) “Assistance to I.C.A.R.” -

(i) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹14445.20 लाख की बचत (₹72173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(i) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹14445.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹72173.00 lakhs);

(ii) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹4182.92 लाख की बचत (₹18896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹4182.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18896.00 lakhs);

(iii) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹3480.97 लाख की बचत (₹19557.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(iii) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹3480.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19557.00 lakhs);

(iv) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹16445.06 लाख की बचत (₹61648.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(iv) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹16445.06 lakh (against the sanctioned provision of ₹61648.00 lakhs);

(v) “कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹717.57 लाख की बचत (₹3254.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(vi) “कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹4355.85 लाख की बचत (₹9812.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(v) “Agricultural Economics and Statistics Institutes, Research and Education Schemes”- saving of ₹717.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3254.00 lakhs); and

(vi) “Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹4355.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9812.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के निर्देश के तहत नये घटक “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” के खर्चों को पूरा करने के लिए निधियों का प्रयोग होने के कारण हुई।

Savings under the above six heads were due to diversion of funds to meet the expenses of new component “Special Component Plan for Scheduled Castes” as per the directions of Ministry of Finance.

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – कृषि शिक्षा संस्थान – अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹528.30 लाख की बचत (₹3522.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में की गई कटौती के कारण हुई।

(b) “Tribal Area Sub-Plan - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹528.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3522.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “मृदा और जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹652.30 लाख की बचत (₹13165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(B) “Soil and water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes” - saving of ₹652.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13165.00 lakhs);

(गा) “पशु पालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹12193.40 लाख की बचत (₹37739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - saving of ₹12193.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37739.00 lakhs); and

(घा) “मत्स्य पालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – मत्स्य संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹4770.89 लाख की बचत (₹16609.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) “Fisheries - Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹4770.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16609.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार नये घटक “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” की खर्चों के पूरा करने के लिए निधियों का प्रयोग होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹881.32 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 16 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹105640.41 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में मुख्य शीर्ष “2415” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹15275.00 लाख का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) “फसल कृषिकर्म” –

(क) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता” –

(i) “कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रशासन और कृषि संबंधित सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन” – ₹43599.50 लाख।

(ii) “राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना” – ₹14738.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14738.25 लाख था।

(iii) “राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना” – ₹5262.00 लाख।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

Savings under the above three heads were due to diversion of funds to meet the expenses of new component “Special Component Plan for Scheduled Castes” as per the directions of Ministry of Finance.

(III) Under two heads savings of ₹881.32 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent and 16 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹105640.41 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹15275.00 lakhs in July 2018, December 2018 and February 2019 under Major Head “2415” - under the following heads :-

(A) “Crop Husbandry” -

(a) “Assistance to I.C.A.R.” -

(i) “I.C.A.R. Headquarter Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management” - ₹43599.50 lakhs.

(ii) “National Agricultural Higher Education Project” - ₹14738.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14738.25 lakhs.

(iii) “National Agricultural Higher Education Project (EAP)” - ₹5262.00 lakhs.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- | | |
|---|--|
| (i) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹5411.52 लाख। | (i) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹5411.52 lakhs. |
| (ii) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1705.97 लाख। | (ii) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Scheme”- ₹1705.97 lakhs. |
| (iii) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1375.72 लाख। | (iii) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1375.72 lakhs. |
| (iv) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹4362.36 लाख। | (iv) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - ₹4362.36 lakhs. |
| (v) “कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹493.85 लाख। | (v) “Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes” - ₹493.85 lakhs. |
| (vi) “कृषि में बुनियादी, रणनीतिक और सीमावर्ती अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि” – ₹421.22 लाख। | (vi) “National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture” - ₹421.22 lakhs. |
| (खा) “मृदा तथा जल संरक्षण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” – | (B) “Soil and Water Conservation - Special Component Plan for Scheduled Castes” - |
| (क) “कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1230.32 लाख। | (a) “Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes” - ₹1230.32 lakhs. |
| (ख) “जलवायु अनुकूल कृषि पहल” – ₹366.86 लाख। | (b) “Climate Resilient Agriculture Initiative” - ₹366.86 lakhs. |
| (गा) “पशु पालन – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹2398.70 लाख। | (C) “Animal Husbandry - Special Component Plan for Scheduled Castes - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹2398.70 lakhs. |
| (घा) “मत्स्य पालन – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – मत्स्य संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1098.39 लाख। | (D) “Fisheries - Special Component Plan for Scheduled Castes - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1098.39 lakhs. |

(ड़) “सामान्य – अन्य संस्थानों को सहायता” –

(E) “General - Assistance to Other Institutions” -

(क) “केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” – ₹19120.00 लाख ।

(a) “Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” - ₹19120.00 lakhs.

(ख) “केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान” – ₹4055.97 लाख ।

(b) “Grants-in-aid to Central Agricultural University, Bihar” - ₹4055.97 lakhs.
